न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या –83/2023

उनवान:–
तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर ----- प्रार्थी

बनाम

भगवान सिंह पुत्र लालसिंह कौम कुशवाह तहसील धौलपुर ----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
आरटीए

दिनांक – 26/11/2024

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1414/667 रकवा 0.1391 है0 किस्म चाही प्रथम, 1418/668 रकवा 0.2923 है0 किस्म चाही प्रथम बाके ग्राम धौलपुर तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थी ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 1414/667 रकवा 0.1391 है0 किस्म चाही प्रथम, 1418/668 रकवा 0.2923 है0 किस्म चाही प्रथम पर आवासीय प्लाटिंग कर दी है, जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी को बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की तामील अप्रार्थी के पुत्र पंकज पर हुई परन्तु अप्रार्थी की ओर से बावजूद तामील के न्यायलय उपस्थित होकर कोई जवाब पेश नही किया। अप्रार्थी के बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली पर संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1414/667 रकवा 0.1391 है0 किस्म चाही प्रथम, 1418/668 रकवा 0.2923 है0 किस्म चाही प्रथम बिना भूमि रूपान्तरण कराये आवासीय कॉलोनी विकसित की जाकर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है। पर मौके पर एनएच 11बी के सहारे 2 दुकान व एक निर्माणाधीन मकान बनाकर उपयोग में लिया जा रहा है। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी ग्राम मौरौलीपुरा सम्वत् 2076–79 के अनुसार खसरा नम्बर 1414/667 रकवा 0.1391 है0 किस्म चाही प्रथम, 1418/668 रकवा 0.2923 है0 किस्म चाही प्रथम भगवान सिंह पुत्र लालसिंह जाति काछी (कुशवाह) सा. पटपरा रोड धौलपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। छायाप्रति खसरा गिरदावरी में फसल दर्ज नही है।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1414/667 रकवा 0.1391 है0 किस्म चाही प्रथम, 1418/668 रकवा 0.2923 है0 किस्म चाही प्रथम ग्राम धौलपुर के खातेदार काश्तकार भगवान सिंह पुत्र लालसिह द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1414/667 रकवा 0.1391 है0 किस्म चाही प्रथम, 1418/668 रकवा 0.2923 है0 किस्म चाही प्रथम ग्राम धौलपुर पर खातेदार भगवान सिंह पुत्र लालसिंह जाति काछी (कुशवाह) सा. पटपरा रोड धौलपुर के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। निर्णय प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)